न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 05/2018

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां जिला–बारां(राज.) **(प्रार्थी)**

बनाम

श्री अजय शर्मा पुत्र श्री कृष्णबल्लभ शर्मा, जय अम्बे भोजनालय,
चारमूर्ति चौराहा, बारां जिला–बारां **(अप्रार्थी)**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद **(प्रार्थी)**

2. श्री अरविन्द पंचौली,अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक– 30.12.2019

1– प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 09.04.2018 को बारां शहर में घरेलू सिलेण्डरों के बढ़ते व्यवसायिक उपयोग की शिकायत पर जय अम्बे भोजनालय चारमूर्ति चौराहा, बारां पर दल सहित पहुँचे। रेस्टोरेन्ट की जॉच के दौरान उसके व्यवसायिक परिसर मे 6 घरेलू गैस सिलेण्ड(14.2 के.जी.) व 2 गैस चूल्हा भट्टी इनमें दो गैस सिलेण्डर भट्टियों से जुडे हुये थे जिनपर खाना बनाया जा रहा था तथा चार सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ भोजनालय परिसर में रखे हुये थे। इस बाबत रेस्टोरेंट पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री अजय शर्मा से पूछताछ की गई जो कोई जवाब नहीं दे पाये तथा इस बाबत कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया। गैस सिलेण्डरों का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	सिलेण्डर का एस.आर.नं0	कम्पनी	सिलेण्डर पर उपदर्शित एल.पी.जी. का मानक भार	खाली सिलेण्डरो का टेयरवेट	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एल.पी.जी	शुद्ध गैस का भार
1	317414	HPCL	14.2	15.9	21.20	5.3
2	0417946	BPCL	14.2	16.0	17.6	1.6
3	566969	HPCL	14.2	15.4	29.50	14.1
4	4330025	HPCL	14.2	15.4	29.50	0
5	170949	HPCL	14.2	15.5	29.80	14.3
6	017264T	HPCL	14.2	15.7	29.80	14.4
	योग					49.4

इस प्रकार उक्त फर्म मालिक ने घरेलू प्रयोजनार्थ सिलेण्डरों का अपने व्यवसयिक हितो की पूर्ति में काम में लिया है जो नियम विरूद्व है तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लघंन है। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त सरकार कर रूबरू मौतबिरान

श्री भॅवरसिंह पुत्र अखेराज सिंह निवासी अभिमन्यु विहार कॉलोनी हाल प्रतिनिधि मै. राज एचपी गैस एजेन्सी,बारां की सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 49.4 किग्रा. गैस एवं दो गैस चूल्हा भट्टी का नियमानुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी के उपस्थित होकर अपने समर्थन में दिनांक 27.02.2019 को जवाब इस्तगासा पेश किया गया।

3— अप्रार्थी ने अपने जवाब में लिखा है कि प्रार्थी को दिया गया नोटिस मिथ्या एवं मनगढ़न्त होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने कभी भी घरेलू गैस का उपयोग नहीं किया है। जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों में से 3 सिलेण्डर मेरे स्वयं के थे जो हम तीन भाई है तीनों के एक—एक है तथा तीन सिलेण्डर होटल में काम करने वाले कर्मचारियों के थे जिन्हे होम डिलेवरी वाला प्रार्थी के होटल का पता देने के कारण होटल पर हीं डिलेवरी कर गया था। दो चूल्हा भट्टी मेरे होटल के थे। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गयी कार्यवाहीं को ड्रोप फरमायी जाकर जप्तशुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व दो चूल्हा भट्टी प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अन्ता में घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ कार्य में लिये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, गठित दल के साथ दिनांक 09.04.2018 को अप्रार्थी के व्यवसायिक रेस्टोरेंट मै0 जय अम्बे भोजनालय, बारां पर पहुँचकर जॉच की गयी। जॉच के दौरान दुकान में मौके पर 6 घरेलू सिलेण्डर व दो गैस चूल्हा भट्टी पायी गयी। जिनमें से दो गैस सिलेण्डर, चूल्हा भट्टी से जुडी हुई थे तथा चार गैस सिलेण्डर इसी प्रयोजनार्थ रखे हुये थे। मौके पर उपस्थित व्यवसायिक मालिक से इसके संबंध में पूछताछ की गयी। किन्तु उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, जो विधि विरूद्व एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है एवं दंडनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस एवं दो चूल्हा भट्टी को राजसात किया जावे।

6— इसके विपरीत विद्वान अप्रार्थी अभिभाषक का कथन है कि रसद विभाग द्वारा उसके विरूद्व गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने से, सिलेण्डर व चूल्हा जप्त किये जाने का केस दर्ज किया गया है। जबकि अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। मौके पर विभाग द्वारा गैस सिलेण्डरो का चुल्हे से जुडे होने की बात लिखी है। यह कथन पूर्णतया असत्य एवं निराधार है। मौके पर गैस सिलेण्डर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों से हीं जुडे हुये थे।

जप्तशुदा गैस सिलेण्डरों में से तीन गैस सिलेण्डर तीनों भाईयों के थे तथा तीन गैस सिलेण्डर भोजनालय पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के थे जिनके द्वारा होम डिलेवरी उनके होटल पर हीं ली गयी थी तथा सभी अपनी–अपनी सुविधानुसार गैस सिलेण्डरों को घर पर ले जाते है तथा गैस खत्म होने पर होम डिलेवरी उनके व्यवसायिक होटल से हीं करते है। उसके द्वारा कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया है। होटल पर व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों को निर्धारित दर पर खरीद कर हीं उपयोग में लिया जाता रहा है। मात्र संदेह के आधार पर जप्ती की कार्यवाहीं की गयी है, जो पूर्णतया असत्य व निराधार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः इस्तगासा निरस्त फरमाया जाकर, जप्तशुदा गैस सिलेण्डर 6 मय गैस एवं दो चूल्हा भट्टी अन्तरिम सुपुर्दगीदार से अप्रार्थी को वापस लौटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

7– हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थी अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक परिसर मै0 जय अम्बे भोजनालय, बारां पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिये जाने पर, मौके पर 6 गैस सिलेण्डरों एवं दो चूल्हा भट्टी को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन रहा है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का किसी प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया है। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा अप्रार्थी के व्यवसायिक परिसर पर मौके पर जप्तशुदा दो गैस सिलेण्डर चूल्हा भट्टी से जुडे हुये पाये गये है। इसी आधार पर मौके पर गैस सिलेण्डरो एवं भट्टी को जप्त किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग में लिया जाना प्रमाणित है, जो अप्रार्थी की घोर अनियमितता की श्रेणी में आता है।

8– परिणामस्वरूप, प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, बारां द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में उपरोक्तानुसार जप्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 49.4 किग्रा. गैस एवं दो चूल्हा भट्टी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा सामान को अंतरिम सुपुर्दगीदार से प्राप्त कर, नियमानुसार उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को संबंधित कम्पनी एच0पी0सी0एल0 में जमा कराकर, रसीद प्राप्त करे तथा दोनो चूल्हा भट्टी का खुली नीलामी में विक्रय कराकर, प्राप्त आय को राजकीय राजसात मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2020.01.08 11:56:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: